

29.09.2019 पत्रावली पेश। वकील जार्जी एंव
जार्जी अनुपस्थित। रुक-रुक कर तीन
बार आवाज लगावाइ गई तावजू इसके
कोई उपस्थित नहीं। इसके पतीत
होता है कि जार्जी एंव वकील जार्जी
अपने जार्जी-पग को लेकर गम्भीर
नहीं हैं। अतः जार्जी-पग अडम
ठानिरी अडम पैरवी में इसी स्तर
पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैलल शुआ ठेकर नम्बर से कम
की जाकर डाखिल दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) सांचौर (जालौर)

